6

पत्रांक–2/पेन–103/2025–
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक / /2026

विषय : **डा० शालिग्राम मंडल, सेवानिवृत्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार को 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–8889(2) वि० दिनांक–24.12.1986 पत्रांक–1829(2) वि० दिनांक–07.04.2005 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–2317(25), दिनाक–05.11.2025 के आलोक में डा० शालिग्राम मंडल, सेवानिवृत्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार को 300 (तीन सौ) दिनो के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

(2) डा० शालिग्राम मंडल की सेवानिवृत्ति की तिथि–31.01.2026 है।

(3) अधीक्षक, सदर अस्पताल, कटिहार के ज्ञापांक–1277, दिनांक–06.12.2025 के द्वारा डा० शालिग्राम मंडल के आवेदन को अग्रसारित है जिसमें उल्लेखित है कि डा० शालिग्राम मंडल द्वारा दिनांक–20.11.2021 के उपरान्त अवकाश का उपभोग नहीं किये है तथा सेवानिवृत्ति की तिथि– 31.01.2026 तक उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं करेगें (छायाप्रति संलग्न)।

(4) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के सम्बन्ध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त डा० शालिग्राम मंडल सेवानिवृत्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार के पक्ष मे 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र अधीक्षक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
विनोद कुमार पाठक,

ज्ञापांक–2/पेन–103/2025– 574(2) पटना, दिनांक–16/3/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकर (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार/अधीक्षक, सदर अस्पताल, कटिहार/कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/ डा० शालिग्राम मंडल सेवानिवृत्त सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार का पत्राचार पता–ग्राम–बुद्धुचक बरमसिया, वार्ड न0–09 पो०+थाना–कटिहार, जिला–कटिहार, पिनकोड–854105 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03, 09 एवं 18ए को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

Sec-2>Des>Gau>pension>Vikas24